रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 358] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 19, 1983/श्रावण 28, 1905
No. 358] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 19, 1983/SRAVANA 28, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

[विकास आयुक्त (औषधि) का कार्यालय]

आदेश

नई दिल्ली, 19 अगस्त 1983

सा. का. 599(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम औषधि (कीमत नियंत्रण) चौथा संशोधन) आदेश 1983 है ।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।

2. औषधि (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1979 के पैरा 24 के उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(4) उपपैरा (1) और (2) में निर्दिष्ट फुटकर कीमत में स्थानीय कर सम्मिलित नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण : इस पैरा के प्रयोजनों के लिए, "स्थानीय करों" के अंतर्गत, किसी विशिष्ट क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन फुटकर विक्रेता द्वारा वास्तव में संदत्त विक्रय कर और चुंगी हैं ।" ।

[सं. 4 (2)/83-औषध-2]

ई. एन. मूर्ति, उपसचिव

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
[Office of Development Commissioner (Drugs)]

ORDER

New Delhi, the 19th August, 1983

S.O. 599(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Drugs (Prices Control) Order, 1979, namely :—

(1) This Order may be called the Drugs (Prices Control) (Fourth Amendment) Order 1983.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In paragraph 24 of the Drugs (Prices Control) Order, 1979, after sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be inserted, namely :—

"(4) The retail price referred to in sub-paragraphs (1) and (2) shall be exclusive of local taxes.

Explanation :—For the purposes of this paragraph, "local taxes" includes sales tax and octroi actually paid by the retailer under any law for the time being in force in a particular area."

[No. 4(2)/83-Drug.-II]

E. N. MURTHY, Dy. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1983